कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सूरजपुर (छ0ग0)

//विज्ञापन//

सूरजपुर, दिनांक–01 फरवरी, 2021

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर का ज्ञापन कमांक 186/डी.ई./तीन–18–20/2006 (सूरजपुर) दिनांक–07.01.2021 के अनुसार इस स्थापना में परामर्शदाता (कॉउन्सलर) अंतर्गत 04 पदों पर नियुक्ति किये जाने हेतु ऐसे योग्य अभ्यर्थियों से, जिन्होनें समाज विज्ञान या मनोविज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि (स्नातकोत्तर डिग्री) प्राप्त की हो और विशेषतः समाज कार्य, बाल मनोविज्ञान या कुटुम्ब संबंधी परामर्श सें न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव रखते हों, तथा 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 60 वर्ष की आयु से कम हो, दो–दो प्रतियों में आवेदन पत्र, शैक्षणिक योग्यता/प्रमाण पत्रों की छाया प्रतिलियों, मय पासपोर्ट छायाचित्र के दिनांक 03.03.2021 तक कुटुम्ब न्यायालय सूरजपुर में आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परामर्शदाता का मानदेय/शुल्क भुगतानः–

(01)– परामर्शदाता के रूप में नियोजित व्यक्तियों को अनुज्ञय मानदेय या शुल्क ऐसी होगी, जैसा की राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जावेगा।

(02)– परामर्शदाता सुलह के लिये प्रति मामला, प्रति बैठक **रूपये 200/–(दो सौ रूपये)** की न्यूनतम दर से मानदेय या फीस का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे, प्रत्येक मामले के लिये निर्वन्धित चार से अधिक संख्या में बैठक नहीं होना चाहिए। किसी भी मामले में परामर्शदाता का कुल मानदेय या फीस **रूपये 600/–(छः सौ रूपये)** प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी।

नोटः–

(01) अपेक्षित अर्हता रखने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

(02) जन्म तिथि के निर्धारण हेतु आवेदक कोई भी ऐसी अंकसूची संलग्न करें जिसमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

Sd/-
(श्रीमती सरोजनंद दास)
न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
सूरजपुर (छ0ग0)

प्रतिलिपिः–

1–माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर को जिला न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड किए जाने के निवेदन के साथ सूचनार्थ अग्रेषित।

2–अध्यक्ष/सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, सूरजपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3–जिला अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, सूरजपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

1/2/21

(श्रीमती सरोजनंद दास)
न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
सूरजपुर (छ0ग0)